रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 710(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इनमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 24क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"24क. खनन पट्टे का नवीकरण :- (1) खनन पट्टे के लिए नवीकरण आवेदन को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जिसको राज्य सरकार अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करें, के माध्यम से पट्टे की समाप्ति की तारीख से कम से कम चौबीस मास पूर्व प्रारूप ञ में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

परंतु यह कि, ऐसे मामलों में जहां, खनन पट्टा 07 जनवरी, 2017 को अथवा इससे पहले समाप्त होने वाला हो, तो नवीकरण के लिए आवेदन, पट्टे की समाप्ति की तारीख से कम से कम बारह मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा"

3. मूल नियमों में, नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :

"33. पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण:- जब खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पट्टाधारी के व्यय पर पट्टे के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा सीमांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण टोटल स्टेशन और डिफरेंशल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली द्वारा किया जाएगा।"

4. मूल नियमों में, अनुसूची 1 में, प्रारूप-ट में पट्टाधारी/पट्टाधारियों 'के प्रसंविदा' से संबंधित भाग VII में :-

(क) पैरा 2 में, "सीमा चिन्हों तथा स्तंभों" शब्दों के स्थान पर "सीमा स्तंभ" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"2क. सीमा स्तंभों के निर्माण का तरीका और देख-रेख:-

(क) पट्टा क्षेत्र के प्रत्येक कोने में एक सीमा स्तंभ होगा (कोना स्तंभ);

(ख) कोने के स्तंभों के बीच मध्यवर्ती स्तंभों को इस तरह निर्मित किया जाएगा जिससे इसके दोनों तरफ अवस्थित निकट के स्तंभ से प्रत्येक स्तंभ दिखाई दें;

(ग) दो सन्निकट सतंभों के बीच की दूरी पचास मीटर से अधिक नहीं होगी।

(घ) स्तंभ धरातल के ऊपर वर्गाकार पिरामिड छिन्नक आकृति के तथा धरातल के नीचे घन की आकृति के होंगे।

(ड.) प्रत्येक स्तंभ को सीमेंट-कंकरीट से मज़बूत किया जाएगा;

(च) कोने के स्तंभों का आधार 0.30 मी. X 0.30 मी. तथा ऊंचाई 1.30 मी. जिसमें से 0.70 मी. भू-स्तर के ऊपर तथा 0.60 मीटर भूमि के नीचे होगा;

(छ) मध्यवर्ती स्तंभ का आधार 0.25 मी. X 0.25 मी. तथा ऊंचाई 1.0 मी. जिसमें से 0.70 मी. भाग भू-स्तर से ऊपर तथा 0.30 मीटर भूमि से नीचे होगा।

(ज) सभी स्तंभों को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा सबसे ऊपर दस सेंमी. तक इनेमल पेंट से लाल रंग से रंगा जाएगा तथा सीमेंट कंकरीट के पतला मसाला भरा जाएगा;

(झ) सभी कोने के स्तंभों पर, दूरी तथा अग्र पश्च स्तंभों की बियरिंग अक्षांश तथा देशांतर चिह्नित किए जाएंगे;

(ञ) प्रत्येक स्तंभ पर दक्षिणावर्त दिशा में क्रम संख्या होगी तथा स्तंभों पर संख्या उत्कीर्ण की जाएगी;

(ट) पट्टा स्तंभ पर संख्या प्रत्येक स्तंभ की संख्या बट्टे पट्टे में कुल स्तंभों की संख्या के रूप में दी जाएगी;

(ठ) सभी सीमा स्तंभों के अग्रभाग 15 सेमी. वर्गाकार के होंगे जिसपर पेंट करके 10 सेमी. के व्यास का एक स्थायी वृत बनाया अथवा उत्कीर्ण किया जाएगा तथा वास्तविक सीमा बिंदु 90^0 पर बने दो मीटर के व्यास के प्रतिच्छेदन पर होगा;

(ड) पट्टा सीमा सर्वेक्षण त्रुटि को ऐसी सीमा के भीतर सही माना जाएगा जैसा कि इस संबंध में महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ढ) धरातल पर स्तंभों की स्थिति तथा उनकी संख्या तथा पट्टाधारी द्वारा अनुरक्षित अन्य योजनाएं भी प्रदर्शित की जाएंगी;

(ण) पट्टे के अंतर्गत वन क्षेत्र के मामले में, सीमा स्तंभों के आकार व निर्माण तथा उनके रंग, वन विभाग द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगे" ।

[फा.सं. 7/2/2013-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव,

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 1398 तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 510(अ), तारीख 18 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2014

G.S.R. 710 (E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the principal rules) for rule 24A, the following rule shall be substituted, namely:—

"24A. Renewal of mining lease.- (1) An application for the renewal of a mining lease shall be made to the State Government in Form J, at least twenty four months before the date on which the lease is due to expire, through such officer or authority as the State Government may specify in this behalf:

Provided that in cases where the mining lease is due to expire on or before the 7th January, 2017, the application for renewal shall be made at least twelve months before the date on which the lease is due to expire.".

3. In the principal rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely:—

"33. Survey of the area leased.- When a mining lease is granted by the State Government, arrangements shall be made by the State Government at the expense of the lessee for the survey and demarcation of the area granted

under the lease and the survey of the area leased is to be conducted by the Total Station and Differential Global Positioning System.”.

4. In the principal rules, in Schedule I, in Form K, in Part VII relating to ‘the Covenants of the Lessee/Lessees’,—

(a) in paragraph 2, for the words “boundary marks and pillars”, the words “boundary pillars” shall be substituted;

(b) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“2A. Manner of construction and upkeep of boundary pillars:-

(a) each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar);

(b) there shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

(c) the distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;

(d) the pillars shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;

(e) each pillar shall be of reinforced cement concrete;

(f) the corner pillars shall have a base of 0.30m X 0.30m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

(g) the intermediate pillars shall have a base of 0.25m X 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

(h) all the pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete;

(i) on all corner pillars, distance and bearing to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

(j) each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

(k) the number of pillar shall be the number of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

(l) the tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees;

(m) the lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Controller General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

(n) the location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

(o) in case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.”.

[F. No. 7/2/2013-M.VI]

R SRIDHARAN, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R.1398 dated the 26th November, 1960 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 510(E), dated the 18th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054